

विदेश मंत्रालय
मांग संख्या 30
विदेश मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:

		बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	राजस्व	395.40	3278.98	3674.38	252.00	3838.66	4090.66	444.40	3771.67	4216.07	
	पूंजी	104.60	654.62	759.22	48.00	644.34	692.34	134.60	711.33	845.93	
	जोड़	500.00	3933.60	4433.60	300.00	4483.00	4783.00	579.00	4483.00	5062.00	
1.	सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052	...	156.18	156.18	...	158.84	158.84	...	162.17	162.17
2.	विदेश कार्य										
2.1	राजदूतावास और मिशन	2061	...	990.01	990.01	...	1044.01	1044.01	...	1045.01	1045.01
2.2	पासपोर्ट और उत्त्रवास	2061	...	160.00	160.00	...	267.35	267.35	...	270.35	270.35
2.3	प्रशिक्षण	2061	...	7.35	7.35	...	8.50	8.50	...	9.00	9.00
2.4	विशेष राजनयिक व्यय										
		2061	...	445.39	445.39	...	655.67	655.67	...	545.39	545.39
		4070	...	404.62	404.62	...	394.34	394.34	...	411.33	411.33
		जोड़	...	850.01	850.01	...	1050.01	1050.01	...	956.72	956.72
2.5	अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/ बैठकें	2061	...	5.10	5.10	...	5.96	5.96	...	8.00	8.00
2.6	मनोरंजन प्रभार	2061	...	25.00	25.00	...	33.26	33.26	...	32.35	32.35
2.7	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2061	...	115.09	115.09	...	123.96	123.96	...	139.60	139.60
2.8	अन्य व्यय										
	(क) अन्य प्रभार	2061	...	3.00	3.00	...	4.50	4.50	...	4.55	4.55
	(ख) अन्य स्कीमें	2061	...	0.93	0.93	...	4.44	4.44	...	2.49	2.49
	(ग) विशेष शिष्ट मंडल	2061	...	5.80	5.80	...	22.52	22.52	...	5.80	5.80
	(घ) हज पर व्यय	2061	...	5.55	5.55	...	5.79	5.79	...	6.00	6.00
	(ङ) अन्य विदेश तीर्थ यात्रा से संबंधित व्यय	2061	...	0.50	0.50	...	0.98	0.98	...	0.60	0.60
	(च) संस्थाओं को अनुदान	2061	...	76.22	76.22	...	83.48	83.48	...	92.13	92.13
	(छ) विशेष कार्यक्रम	2061	...	3.46	3.46	...	3.02	3.02	...	5.01	5.01
	(ज) मिशनों को विशेष अनुदान	2061	...	8.22	8.22	...	9.14	9.14	...	3.26	3.26
	(झ) विदेश मंत्रालय के होस्टल और आवासीय काम्पलैक्स	2061	...	2.62	2.62	...	3.12	3.12	...	3.41	3.41
	जोड़-अन्य व्यय		...	106.30	106.30	...	136.99	136.99	...	123.25	123.25
	जोड़-विदेश कार्य		...	1854.24	1854.24	...	2275.70	2275.70	...	2172.95	2172.95
	जोड़-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		...	404.62	404.62	...	394.34	394.34	...	411.33	411.33
3.	विविध सामान्य सेवाएं - मुद्रा विनिमय द्वारा हानि	2075	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
4.	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग और विदेशी सरकारों को अग्रिम										
	(i) बंगलादेश	3605	...	15.00	15.00	...	60.00	60.00	...	16.00	16.00
		7605
		जोड़	...	15.00	15.00	...	60.00	60.00	...	16.00	16.00
	(ii) भूटान	3605	186.31	480.00	666.31	153.00	530.00	683.00	278.40	540.00	818.40
		7605	104.60	...	104.60	48.00	...	48.00	134.60	...	134.60
		जोड़	290.91	480.00	770.91	201.00	530.00	731.00	413.00	540.00	953.00
	(iii) नेपाल	3605	38.00	100.00	138.00	...	100.00	100.00	40.00	100.00	140.00
		7605
		जोड़	38.00	100.00	138.00	...	100.00	100.00	40.00	100.00	140.00
	(iv) श्रीलंका	3605	...	28.00	28.00	...	28.00	28.00	...	34.00	34.00
	(v) मालदीव	3605	...	15.00	15.00	...	19.50	19.50	...	17.77	17.77
	(vi) म्यांमार	3605	40.41	40.00	80.41	...	20.00	20.00	41.00	15.00	56.00
	(vii) अन्य विकासशील देशों को सहायता	3605	130.68	460.55	591.23	...	180.08	180.08	...	176.57	176.57
	(viii) आईटीईसी-कार्यक्रम	3605	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	65.00	65.00
	(ix) अफ्रीकी देशों को सहायता	3605	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	80.00	80.00
	(x) मध्य एशिया	3605	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	28.00	28.00
	(xi) लेटिन अमरीका देशों को सहायता	3605	1.53	1.53	...	4.20	4.20
		3605	99.00	335.00	434.00	85.00	360.00	445.00
		जोड़	500.00	1268.55	1768.55	300.00	1404.11	1704.11	579.00	1436.54	2015.54
5.	लोक निर्माण कार्य	4059	...	165.00	165.00	...	165.00	165.00	...	200.00	200.00
6.	आवास	4216	...	85.00	85.00	...	85.00	85.00	...	100.00	100.00
	कुल जोड़		500.00	3933.60	4433.60	300.00	4483.00	4783.00	579.00	4483.00	5062.00
ग.	आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
	केन्द्रीय योजना	13605	500.00	...	500.00	300.00	...	300.00	579.00	...	579.00

1. **सचिवालय सामान्य सेवाएं:** इसमें विदेश मंत्रालय के सचिवालय जिसमें विदेशों में प्रचार कार्य पर होने वाला व्यय भी शामिल है, के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **विदेश मामले:**

2.1 **राजदूतावास तथा मिशन:** इसमें विदेशों में 167 मिशनों/केन्द्रों द्वारा भारतीय मिशनों/केन्द्रों के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2.2 **पासपोर्ट तथा उत्प्रवास:** यह प्रावधान मुख्य रूप से पासपोर्ट तीस कार्यालयों, विदेशों में भारतीय मिशनों के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम तथा यात्रा दस्तावेजों के मुद्रण की लागत पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए है। इस प्रावधान में पासपोर्ट संबंधी कार्य के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को किए जाने वाले भुगतान का आबंटन भी शामिल है। विदेशों में भारतीय मिशनों/केन्द्रों तथा वस्तुओं और सेवाओं की लागत में संभावित वृद्धि पर प्रत्याशित व्यय के लिए प्रावधान है।

2.3 **प्रशिक्षण:** इस शीर्ष के अंतर्गत भारतीय एवं विदेशी राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा विदेश सेवा संस्थान के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम तथा पुस्तकों का क्रय इत्यादि जैसे कार्यक्रमलाप करने के लिए प्रावधान किया गया है।

2.4 **विशेष राजनयिक व्यय:** इसमें विवेकाधीन व्यय का प्रावधान किया गया है।

2.5 **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें:** यह प्रावधान भारत में आयोजित बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/बैठकों पर व्यय और दोनों पक्षों के प्रतिष्ठित व्यक्ति समूहों पर व्यय के लिए है।

2.6 **मनोरंजन प्रभार:** यह प्रावधान मुख्यतः आगुंतक अति विशिष्ट

व्यक्तियों की यात्राओं से संबंधित सेवाओं की लागत, भारतीय वायु सेना के एयरलिफ्ट प्रभारों तथा हैदराबाद हाऊस के उन्नयन, मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्य के लिए है।

2.7 **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** इसमें संयुक्त राष्ट्र संगठनों, अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को जिसमें भारत एक सदस्य देश है तथा सार्क आदि जैसे क्षेत्रीय संगठनों को अनिवार्य अनुदान मुहैया कराया जाता है।

2.8 **अन्य व्यय:** इसमें सीमाओं के निर्धारण, ओबजेक्ट डी आर्ट्स की खरीद, भारतीय विस्थापितों, युद्ध और सिविल विक्षोभों के कारण बाहर गए भारतीयों का प्रत्यावर्तन, विदेशों में उच्च स्तरीय दौरे, संयुक्त राष्ट्र संघ में विशेष शिष्ट मंडलों, हज सद्भावना शिष्ट मंडल, मानसरोवर तीर्थयात्रा, विदेश मंत्रालय के होस्टलों और आवासीय काम्पलैक्स, मिशनों/विदेशी पदों के माध्यम से हिन्दी की संस्थानों को सहायता अनुदान और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के आयोजन के लिए मिशनों/पदों को अनुदान पर होने वाले व्यय हेतु प्रावधान है।

4. **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग तथा विदेशी सरकारों को अग्रिम:** यह प्रावधान भारत के बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय मदद एवं सहायता कार्यक्रमों के लिए किया गया है। ये आवंटन मित्र देशों को विकासात्मक परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने में भारत की सतत् रुचि को दर्शाते हैं। यह सहायता न केवल हमारे निकट पड़ोसी देशों को दी जाती है बल्कि अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को भी दी जाती है। इस प्रावधान में भूटान म्यांमार, नेपाल और अफगानिस्तान को सहायता प्रदान करने के लिए एक आयोजना घटक भी शामिल हैं। यह प्रावधान फिलीस्तीन, अफगानिस्तान इत्यादि जैसे अन्य देशों को मानवीय सहायता एवं मदद की पूर्ति भी करता है।

5 व 6. **लोक निर्माण कार्य और आवासन पर पूंजी परिव्यय:** इन शीर्षों में बढ़ते हुए वार्षिक किराया दायित्वों को कम करने हेतु एक सुव्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से विदेशों में तथा भारत में कार्यालयों/संस्थानों को आवासीय सम्पदाओं और चान्सरियों के अधिग्रहण एवं निर्माण हेतु व्यय के लिए व्यवस्था है।